G20 भारत 2023 INDIA
वसुधैव कुटुम्बकम्
ONE EARTH • ONE FAMILY • ONE FUTURE

रेल विकास निगम लिमिटेड
Rail Vikas Nigam Limited
गुणवत्ता, गति एवं पारदर्शिता
(A Government of India Enterprise)
CIN : L74999DL2003GOI118633

पत्र कृ. 12.5 A RVNL BPL/Forest Corres

दिनांक:28.11.2024

प्रति,
वनमंडल अधिकारी (सामान्य वनमंडल)
सीहोर म.प्र

विषय : वनसंरक्षण अधिनियम 1980 के तहत् बुधनी-इंदौर न्यू बी.जी. रेल लाईन के निर्माण में प्रभावित वनमण्डल सीहोर की 24.920 हेक्टेयर के बदले हस्तांतरित गैर-वनभूमि के संबंध में। **(ऑनलाईन प्रकरण क्रमांक FP/MP/RAIL/42206/2019).**

संदर्भ
1 कलेक्टर, जिला सीहोर का प्र. क्रमांक/0035, 0036, 0037/अ-20(3)/2024-25 दि.10.10.2024.
2 इस कार्यालय का पत्र क्र 12.5 A RVNL BPL/Forest Corres दिनांक: 18.10.2024.
3 कार्यालय व.मा.अ. सीहोर का पत्र क्र मानचित्रकार/2024/2887 सीहोर, दिनांक 08/11/2024

विषयांकित प्रकरण में कृपया संदर्भित पत्र कृ. 1 पर अंकित कलेक्टर जिला सीहोरे के उक्त आदेशानुसार सीहोरे जिले के अंतर्गत कुल 54.633 हेक्टेयर राजस्व भूमि (छोटे बड़े झाड़ का जंगल मद की) अनुभाग आष्टा के अंतर्गत आरक्षित होकर चिन्हांकित की जा कर वन विभाग के पक्ष में भूमि हस्तांतरण आदेश निम्न विवरण अनुसार जारी किये गये है।

कृ.	कलेक्टर सीहोर का प्रकरण क्र/ दिनांक	ग्राम का नाम	खसरा न.	रकवा न.
1	0035/ दिनांक 10.10.2024	गुंजारी तहसील जावर	86	11.938 हे.
2	0036/ दिनांक 10.10.2024	आमला मज्जु तहसील जावर	1/1	21.570 हे.
3	0037/ दिनांक 10.10.2024	भाऊखेड़ा तहसील जावर	278	21.125 हे.
			कुल राजस्व भूमि हे.	**54.633 हे.**

संदर्भ कृ. 3 पर अंकित आपके कार्यालयीन पत्रानुसार उक्त आरक्षित गैर वन भूमि का मोका स्थल पर राजस्व अधिकारियों द्वारा वन अधिकारियों की उपस्थिती में पूर्ण निरीक्षण करते हुये हस्तांतरित भूमि 54.633 हेक्टेयर भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराकर मोके का सीमांकन DGPS मशीन से कराते हुये दिनांक 26.11.24 एवं 27.11.24 को कब्जा वन विभाग को सोपा गया है जिसका मोका पंचनामा एवं कब्जा रशीद की छायाप्रती संलग्न संप्रेषित है।

कृपया आपको हस्तांतरित 54.633 हेक्टेयर गैर वन भूमि पर क्षतिपूर्ति वनीकरण योजना तैयार कराकर वरिष्ठ कार्यालय को प्रेषित करने का कष्ट करे ताकि MOEF, RO Office Bhopal के observation point no.1 के पूर्ति की जाकर परियोजना की सैद्धांतिक स्वकृति MOEF कार्यालय से प्राप्त करने की कार्यवाही की जा सके।

संलग्न:- सीमांकन कब्जा हस्तांतरण, पंचनामा एवं कब्जा रशीद की छायाप्रतियाँ।

28/11/24
(राघवेन्द्र सारस्वत)
मुख्य परियोजना प्रबंधक
रेल विकास निगम लिमिटेड भोपाल

प्रतिलिपि :-

1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष भू-प्रबंध), वन भवन भोपाल की और सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है, कृपया वन मण्डल सीहोरे से हस्तांतरित राजस्व भूमि पर छतिपूर्ति वनीकरण योजना शीघ्र प्रेषित करने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।
2. मुख्य वन संरक्षक, भोपाल वृत्त भोपाल की और सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

कार्यालय
सामान्य वनमण्डल सीहोर (म.प्र.)

सीहोर-इछावर मार्ग, सीहोर (म.प्र.)466001 Mob-9424790850 E-mail :- dfot.seh@mp.gov.in

क्रमांक/मानचित्रकार/2024/2887 सीहोर, दिनांक 08/11/2024

प्रति,

मुख्य परियोजना प्रबंधक,
रेल विकास निगम लिमिटेड भोपाल।

विषय:- वनसंरक्षण अधिनियम 1980 के तहत् बुधनी-इंदौर न्यू बी.जी. रेल लाईन के निर्माण में प्रभावित वनमण्डल सीहोर की 24.920 हेक्टेयर के बदले हस्तांतरित गैर-वनभूमि के संबंध में।

संदर्भ:- 1. कलेक्टर, जिला सीहोर का प्र.क्रमांक/0035/अ-20(3)/2024-25 दि. 10.10.2024
2. कलेक्टर, जिला सीहोर का प्र.क्रमांक/0036/अ-20(3)/2024-25 दि. 10.10.2024
3. कलेक्टर, जिला सीहोर का प्र.क्रमांक/0037/अ-20(3)/2024-25 दि. 10.10.2024
4. वनपरिक्षेत्राधिकारी आष्टा का पत्र क्रमांक/1973 दि. 07.11.2024

--00--

विषयांतर्गत संदर्भ में लेख है कि वनमण्डल सीहोर के परिक्षेत्र रेहटी एवं बुधनी में आपके द्वारा प्रस्तावित बुधनी-इंदौर न्यू बी.जी.रेल लाईन के निर्माण हेतु प्रभावित वन भूमि 24.920 हेक्टेयर के बदले कलेक्टर, जिला सीहोर के आदेश क्रमांक/0035/अ-20(3)/2024-25 दि. 10.10.2024 से ग्राम गुन्जारी, तहसील जावर, जिला सीहोर का खसरा क्रमांक-86 रकबा 11.938 हेक्टेयर एवं आदेश क्रमांक/036/अ-20(3)/2024-25 दि. 10.10.2024 से ग्राम आमलामज्जू, तहसील जावर, जिला सीहोर का खसरा क्रमांक-1/1 रकबा 21.570 हेक्टेयर एवं आदेश क्रमांक/037/अ-20(3)/2024-25 दि. 10.10.2024 से ग्राम भाऊखेड़ा, तहसील जावर, जिला सीहोर का खसरा क्रमांक-278 रकबा 21.125 हेक्टेयर कुल 54.633 हेक्टेयर गैर-वनभूमि वन विभाग के पक्ष में हस्तांतरित की गई।

उक्त भूमि के संबंध में वन परिक्षेत्राधिकारी आष्टा के पत्र क्रमांक/1973 दि. 07.11.2024 से लेख किया गया है कि हस्तांतरित गैर-वनभूमि का तहसीलदार जावर एवं अन्य राजस्व कर्मचारियो, वन कर्मचारियो के साथ मौका स्थल निरीक्षण किया गया। जिसमें पाया गया कि उपरोक्त तीनो स्थल अतिक्रमित क्षेत्र होकर वर्तमान में उक्त भूमि पर कृषि कार्य किया जा रहा है जो वृक्षा रोपण एवं वन प्रबंधन की दृष्टि से उपयुक्त नहीं है।

अतः उपरोक्त हस्तांतरित गैर-वनभूमि से अतिक्रमण हटवाने का कष्ट करे अथवा परियोजना हेतु अन्यत्र गैर-वनभूमि आवंटित कराना सूनिश्चित करे।

एम.एस.डावर भा.व.से.
वनमण्डलाधिकारी
सामान्य वनमण्डल सीहोर

पृ.क्रं/मानचित्रकार/2024/2888 सीहोर, दिनांक 08/11/2024

प्रतिलिपि :-

1. कलेक्टर, जिला सीहोर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. अनुविभागीय अधिकारी, अनुविभाग आष्टा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
3. तहसीलदार, तहसील जावर, जिला सीहोर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
4. वनपरिक्षेत्राधिकारी आष्टा की ओर आपके पत्र क्रमांक/1973 दि. 07.11.2024 के तारतम्य में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

वनमण्डलाधिकारी
सामान्य वनमण्डल सीहोर

पंचनामा

आज दिनांक 26/11/2024 को नाय तह. महो. जवट के आदेश दिनांक 25/11/2024 के प्रकरण क्र. 0035/अ-20(3)/2024-25 को श्रीमान न्याया. कलेक्टर महो. जि. सीहोर खसरा नं.- 86, रकबा - 11.938 हेक्टर, ग्राम - गंजारी, स्थित भूमि क्र. 20(3)/2024-25 ग्राम आमलामन्जू स्थित भूमि सर्वे क्र. 1/1 रकबा 21.570 हेक्टर एवं न्यायालयीन प्र. क्र. 0036/ दि. 10/10/2024 अनुसार न्यायालयीन प्र. क्र. 0037/अ-20(3) 2024-25 मौजा ग्राम आक्लखेड़ा स्थित सर्वे क्र. 378 रकबा - 21.125 हेक्टर भूमि कुल किता - 03 कुल रकबा - 54.633 हेक्टर भूमि वन विभाग को आवंटित की गई है। उक्त आवंटित भूमि पर से दिनांक - 26/11/2024 को अनावेदकगण तुलसीराम S/o सेवा, चापूबाई W/o देवकरण बलाई, हरी S/o गाना बलाई, गुलाब S/o लाल चमार, हरी S/o सोनाजी बागरी, पन्नालाल S/o हालीराम बलाई, रूपलाल S/o सोमाजी बागरी, हरी S/o गाना बलाई, प्रहलाद S/o भागीरथ, पुन्नू S/o लाल चमार, भगवाना S/o मुन्नी, हरनाथ S/o भगवाना बागरी, मेहरबान S/o पीसा बलाई, कल्लू गोपी दुबार, शंभू S/o हरीसिंह बलाई सभी अनावेदक आमलामन्जू, एवं अनावेदक ग्राम आक्लखेड़ा राजेश S/o मदनलाल, नारायणसिंह S/o नरबदसिंह, नरवल S/o प्रेमा एवं कल्याणसिंह S/o कुकू इसी प्रकार ग्राम - गंजारी कमलसिंह S/o रूपाजी तथा अमरसिंह S/o कुमरसिंह द्वारा किये गये अनाधिकृत कब्जे / अतिक्रमण को मौके पर उपस्थित नायब तह. महो. जावट, आर. एस. तोमर उपयंत्री सिविल, एस एस चतुर्वेदी लाइजनिंग आफीसर रेल विकास निगम भोपाल एवं वनविभाग से रमेश्वर गहरवार, डिप्टी रेंजर, प्रदीप मालविया तोमाजी बीटगार्ड, ग्रामकोटवार व अन्य की उपस्थिति में गठित दल विक्रमसिंह आर. क्षि., राजेन्द्र मालवीय हवल. 32, मंगलसिंह उ.नि. हवल. 31, विपुल भास्कर हवल. -34 एवं प्राइवेट एजेन्सी के साथ टीम एवं मशीन द्वारा उक्त आवंटित भूमि का सीमांकन कर उक्त अनावेदकों का कब्जा / अतिक्रमण हटवाया गया। तथा वन विभाग के उपस्थित अधिकारी कर्मचारियों को उक्त ख.न. - 86 रकबा - 11.938 हे., 1/1, रकबा - 21.570 हेक्टर एवं ख.न. 378, रकबा - 21.125 कुल तीनो ग्रामो का कुल रकबा 54.633 हेक्टर भूमि का कब्जा सौंपा गया।

टीप - आज दिनांक 26/11/2024 को ग्राम आमलामन्जू स्थित भूमि खसरा - 1/1 रकबा - 21.570 हेक्टर भूमि का कब्जा दिये जाने की कार्यवाही की गई। सूर्यास्त हो जाने से शेष ग्राम आक्लखेड़ा एवं गंजारी की कार्यवाही कल दिनांक - 27/11/2024 को की जावेगी।

[signature]
उप-प्रबन्धक (सिविल)
रेल विकास निगम
भोपाल

सोशराम

रमेश्वर

/ निरंतर /

आज हम दिनांक- 27/11/2024 को शेष ग्राम गुनाही) भूमि
ख०नं०- 86, रकबा- 11.738 हेक्टर एवं ग्राम- आखोड़ा स्थित भूमि
ख०नं०- 378 रकबा- 21.125 हेक्टर भूमि का सीमांकन कर मौके पर
उपखण्ड राजस्व टीम, [illegible] के समक्ष [illegible] सेंट,
[illegible] [illegible] की उपस्थिति में [illegible] (अधिकारी)
[illegible] निगम [illegible] को उक्त आवंटित भूमि का कब्जा सौंपा गया।

पंचनामा मौके पर बनाया, [illegible] ग्राम [illegible]

हस्ताक्षर (नाम)

[illegible] 27/11/24

[illegible] 27/11/24

27/11/24

27/11/2024

27/11/2024

27/11/2024

बहादुरसिंह

कुन्दरसिंह

रतनसिंह

जितेन्द्र

<u>कब्जा रसीद</u>

कार्यालय कलेक्टर महोदय जिला-सीहोर (म.प्र.) के प्रकरण क्रमांक/0025/अ-20(3)/2024-25 आदेश दि. 10/10/2024 के अनुसार ग्राम गुंजारी स्थित भूमि सर्वे नं. 86 रकबा 11.938 हेक्टर, न्यायालयीन प्रकरण क्रमांक 0036/अ-20(03)/2024-25 आदेश दि. 10/10/2024 अनुसार, ग्राम अमलामधु स्थित भूमि सर्वे 1/1 रकबा 21.570 हेक्टर, न्यायालयीन प्रकरण क्रमांक 0037/अ-20(03)/2024-25 आदेश दि. 10/10/2024-25 भूमि सर्वे नं. ग्राम ~~मांकुखेड़ा~~ स्थित 378 रकबा 21.125 हेक्टर कुल रकबा 54.633 हेक्टर वन विभाग के पक्ष में आवंटित की गई है। उक्त आवंटित भूमि पर से दिनांक 26/11/2024 को अतिक्रमण हटाया जाकर एवं भूमि का सीमांकन कर आवंटित भूमि पर कब्जा दिलाये जाने हेतु न्यायालय नायब तहसीलदार वृत्त जावर के पत्र क्रमांक 279/रीडर-2/2024 जावर दि. 25/11/2024 द्वारा आदेशित किया गया था। जिसके पालन में 26/11/2024 एवं 27/11/2024 को गठित दल द्वारा प्रायवेट D.G.PS मशीन द्वारा विधिवत सीमांकन कर अतिक्रमण उक्त तीनों ग्रामों से की ~~सौंपा गया~~! आवंटित भूमि का कब्जा वन विभाग को सौंपा जाता है!

कब्जा देने वाले के हस्ताक्षर

कब्जा लेने वाले के हस्ताक्षर